

## प्रारूप-2

(नियम 8 का उप-नियम (4) देखिए)

**कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान**

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/आरटी.ई जयपुर पश्चिम/525/2014 दिनांक 13/01/14

संरक्षा सचिव

वैरेन एकेडमी

सैनी कालोनी विस्तार करतारपुरा जयपुर

विषय—नियम 8-के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

संदर्भ— जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/आरटी.ई जयपुर पश्चिम/416 /2012 दिनांक 10.12.12

संरक्षा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.12 के फैल में निर्धारित मापदण्ड पूर्ति एवं अधिकारी की पूर्ति के आधार पर पूर्व आदेश को संशोधन कर विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्कर्ती पत्र व्याहार/निरोक्षण के संदर्भ में, मैं वैरेन एकेडमी सैनी कालोनी विस्तार करतारपुरा जयपुर को 01.04.2012 से कक्षा 1 से 8 तक के लिए मान्यता प्राप्त करता हूँ। उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन हीरी—

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्भित नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम स 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस पड़ोंस के कमज़ोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. रोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या असाके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सापूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय वह सुनिश्चित करेगा कि :

- (1) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;
- (2) कोई बालक शारीरिक दण्ड या भानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
- (3) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
- (4) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य भास्तु शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा—अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा ;
- (5) (2009 के अधिनियम के उपबंधो के अनुसार नियोग्यता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्बलित किया जाए ;
- (6) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप—धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;  
परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (7) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप—धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं ; और
- (8) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा—विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :— (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र—प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल—कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिए पृथक—पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मिड—डे भील पकाने के लिए रसोई

- अवरोध मुक्त पहुंच
  - अध्यापन विज्ञान सामग्री/खेल-कूद-उपस्कर/ पुस्तकोंजय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई और मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएंगी।
  10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
  11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम स.21) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम स. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
  12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
  13. किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
  14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या RJ/BEEO/JPR/WEST/ 2012-13/012 है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
  15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/राज्यानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
  16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनियित करें।
  17. अन्य शर्तें संलग्न परिसिष्ट के अनुसार हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

*Gaurav*  
PRINCIPAL  
Warren Academy School

५  
३००४  
Secretary  
Warren Shiksha Sanstha  
Kartarpura, Jaipur